न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 13/2013

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. देवाराम पुत्र डुगराराम 2. पुनमाराम पुत्र डूंगराराम 3. मगाराम पुत्र डूगराराम 4. वीरोदेवी पत्नी अमराराम 5. लाछीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. गोपाराम पुत्र भगवानाराम 2. पदमाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा सिणधरी 4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा भुका वगतसिंह 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1 श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2. श्री भंवरलाल सारण प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

2. प्रतिवादीगण 2 से 4 एकतरफा व प्रतिवादी सं. 5 के पैरोकार उप.।

निर्णय

दिनांक— 25.09.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा— सरेली की ढाणी पटवार मण्डल डण्डाली के खसरा संख्या 470, 466 रकबा 6.520, 28.2098 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 11.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई [illegible] बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित [illegible] प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी मे अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

विभाजन वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा– सरेली की ढाणी पटवार मण्डल सण्डाली के खसरा संख्या 470, 466 रकबा 6.520, 28.2098 हैक्टेयर के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र.स.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	देवाराम 363/1162 पूनमाराम 363/1162 मगाराम 363/1162 पुत्र डूंगरराम कम्पूदेवी पुत्री डूंगरराम 1/16 हि. जाति जाट सा. देह खातेदार	सरेली की ढाणी	466	9.4032	बा.दो	–	नारंगी
2	देवाराम 1/4 पूनमाराम 1/4 मगाराम 1/4 पुत्र डूंगरराम पूरोदेवी पत्नि डूंगरराम 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार	सरेली की ढाणी	470	2.1735	बा.दो	–	नीला
3	लाछीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट सा. मूढणे की ढाणी सरणू खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा सिणधरी	सरेली की ढाणी	466	6.8092	बा.दो.	–	गुलाबी
4	वीरोदेवी पत्नि अमराराम जाति सा.देह खातेदार	सरेली की ढाणी	470	2.1735	बा.दो.	–	लाल
5	गोपाराम पुत्र भगवानाराम 1162/1483 पदमाराम पुत्र मोटाराम 321/1483 जाति जाट सा. देह खातेदार	सरेली की ढाणी	466	11.9974	बा.दो.	–	आसमानी
6	गोपाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट, सा. देह खातेदार	सरेली की ढाणी	470	2.1735	बा.दो.	–	हरा

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारी — श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. देवाराम पुत्र डूंगराराम 2. पुनमाराम पुत्र डूंगराराम 3. मगाराम पुत्र डूंगराराम 4. वीरोदेवी पत्नी अमराराम 5. लाछीदेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी सारेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. भीमाराम पुत्र भगवानाराम 2. पदमाराम पुत्र भीमाराम जाति जाट निवासी सारेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा सिणधरी 4. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा भूका भगतसिंह 5. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबतः— 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :— 13/2013

निर्णय दिनांक :—25.09.2024

वादी की ओर से **श्री जोगराज पोटलिया** अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 के वकील श्री मदनलाल सारण तथा राज. पैरोकर की उपस्थिति तथा शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.09.2024 को **श्री जगदीशसिंह आशिया** (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**— वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 25.09.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 25.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested

वाद के ख[र्च]

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2 ... 3 ... 4 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5 आदेशिका की तामील 6 कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिणधरी

क्रमांक / वाद / 2024 / 92 दिनांक 11.06.2024

प्रेषितः– तहसीलदार
सिणधरी

विषय–राजस्व वाद संख्या 13 / 2023 अनवान देवाराम बनाम गोपाराम में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

विभाजन प्रस्ताव भिजवाने की तारीख– 11.07.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है,कि उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 11.06.2024 के मुताबिक वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें से पूर्व विभाजन प्रस्ताव तैयार करनें की एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर सम्बन्धित पक्षकारों को जरियें नोटिस / पत्र सूचना दी जावें। तत्पश्चात दोनो पक्षों की उपस्थिति में आप स्ंवय मौके पर जाकर विवादग्रस्त आराजी का विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 में दियें गयें प्रावधानों के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव आगामी पेशी तारीख से पूर्व तैयार कर प्रेषित करावें।

सलंग्न– प्रारम्भिक डिक्री की प्रतिलिपि

नोट–राजस्व मण्डल राज.अजमेर के पत्र क्रमांकःरा.म. / न्याय / स्था / प–51 / 2008 / विविध / 10546 दिनांक 05.10.2020 के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) सिणधरी